तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज
	न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर अपील संख्या– 74/2018 अंतर्गत धारा–76 एल.आर.एक्ट GCMS No. 2018/00104 अनवानः रांझे खां पुत्र श्री जिन्दे खां जाति मुसलमान निवासी चक 7 के.एल.डी. पो. कुण्डल, तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर। बनाम 1. कालू खां पुत्र बसायें खां जाति मुसलमान निवासी चक 7 के.एल.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर। 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू.अ. खाजूवाला।
02.08.2022	आज यह पत्रावली अपीलांट रांझे खां पुत्र जिन्दे खां जरिये अभिभाषक श्री वेंकट व्यास के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पेशी में ली गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट ने हमारे समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उपरोक्त अनवान की अपील में दोनो पक्षकारों का आपस में समझौता हो जाने के कारण अपीलांट अपनी अपील आगे नहीं चलाना चाहता है एवं अपील को विड्रो करना चाहता है। हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया। यह अपील उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला के आदेश दिनांक 28.09.2018 जिसके द्वारा नामान्तरण संख्या 97 दिनांक 10.06.1993 को निरस्त करने पर इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी इस अपील को आगे चलाना नहीं चाहते एवं विड्रा करना चाहते है। अतः यह अपील अपीलांट जरिये विड्रावल (withdrawal) इसी स्तर पर खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय आदेश की प्रति प्रेषित हो। अपील नंबर से कम होकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। संभागीय आयुक्त बीकानेर